

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा , राजस्थान जयपुर

वित्त भवन , ए-ब्लॉक ज्योति नगर जनपथ , जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837 , , फ़ैक्स:- 0141-2742309 , ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/1591

दिनांक :- 20.12.2022

आदेश संख्या : 658/2022-23

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकार जिन्हें कनिष्ठ लेखाकार/त.रा.ले. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में सफल घोषित होने पर 02 वर्ष की अवधि हेतु कनिष्ठ लेखाकार पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी गई थी , का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम , 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार पद का निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से स्थाईकरण किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	लिंक नं.	मेरिट नं.		जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाईकरण तिथि
			नई	पुरानी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रेणुका साहू	12141	2328	2241	06.07.1988	03.07.2017	02.07.2019	03.07.2019

उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का स्थाईकरण कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं वित्त (नियम) विभाग के निर्देशानुसार इस शर्त के साथ किया जाता है कि इनके विवाह के सम्बन्ध में मानीनय न्यायालय में विचाराधीन वाद के निर्णय के पश्चात् जो भी स्थिति बनती हो अर्थात् यदि विवाह विच्छेद होता है तो पुनः शपथ-पत्र विवाह विच्छेद के सबूत के साथ विभाग में यथासमय प्रस्तुत करेगी।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों/वादों के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग से प्राप्त निर्देश दिनांक 01.11.2022 के अनुसरण में जारी किए जा रहे हैं।


(भूपेश माथुर)

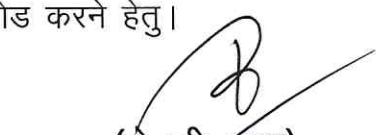
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प.4(ई) (1) (6) नियमितिकरण/अलेसे-III/1591

दिनांक: 20.12.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव , वित्त (राजस्व) विभाग , शासन सचिवालय , जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
3. अतिरिक्त निजी सचिव , निदेशक।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।


(क. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)